

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छ.ग.) पुवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

—:: अधिसूचना ::—

क. / १८९४ / भू-अर्जन / २०२०१०५०४०००४ अ ८२ / २०२४

कोरबा, दिनांक २०.१.२०२४

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग के कि.मी.694 / 31-33 पर (उरगा के पास) रेल्वे ओवर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वर्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन —

1. जिला – कोरबा
2. तहसील – कोरबा
3. ग्राम / नगर – उरगा
4. भूमि का क्षेत्रफल – 0.125 हे.

ख.नं.	रक्का
227 / 4	0.012
290 / 1	0.009
432 / 8 / छ	0.020
433 / 1	0.069
429 / 6	0.015
योग	0.125

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विरक्ति नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अजीत वसंत)
कलेक्टर

जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा